ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया, नई दिल्ली

11 फ़रवरी 2015

प्रिय श्री अरविन्द केजरीवाल जी !

दिल्ली में आपकी पार्टी की दूसरी बार शानदार जीत पर हम बधाई देते हैं।

सबसे पहले तो हम यह संकल्प व्यक्त करना ज़रूरी समझते हैं कि ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के लिए किसी निजी हित की अपेक्षा आपसे या आपकी सरकार से कभी नहीं की जाएगी। न ही किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए कोई सिफ़ारिश आप की सरकार से की जाएगी।

यू.पी.ए. सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में (वक़्फ़ सम्पत्तियों के सम्बंध में संशोधित क़ानून के अलावा) मुसलमानों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करने की अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया था। उधर 29 जून 2013 को अहमदाबाद में श्री नेरन्द मोदी (उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष ने एक प़ॉवर प्वाइंट प्रेज़ेन्टेशन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों की दूरी के कारणों को रेखांकित कर दिया था और इस के लिए आवश्यक अर्थपूर्ण उपायों के रूप में उनकी जायज़ और क़ानूनी ज़रूरतों को सामने रखा था, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्र द्वारा उन्हें याददिहानी भी की गई। किन्तु अभी तक इस सम्बंध में मोदी सरकार की ओर से की गई कोई संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। अत: 2014 के संसदीय चुनाव और दिल्ली विधानसभा के लिए हुए फ़रवरी 2015 के चुनाव में मुसलमानों ने भरपूर ढंग से आम आदमी पार्टी को वोट दिया।

अब मुसलमानों के साथ इंसाफ़ करने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी, जस्टिस मिश्रा आयोग, श्री हर्षमन्दर तथा अन्य शोधकर्ताओं की ओर से जो ख़ास ख़ास सिफ़ारिशें की गयी

हैं, उन्हें दिल्ली के अन्दर लागू करने के लिए हम आप से अनुरोध करते हैं। यह ख़ास सिफ़ारिशें इस पत्र के साथ संल्गन हैं।

हार्दिक शुभ कामनाओं के साथ, भवदीयः
डा. सैयद ज़फ़र महमूद, एस. एम. शकील, असरार अहमद, अनीसुर्रहमान, मुम्ताज़ नजमी, इरफ़ान बेग, मुफ़्ती डा. आदिल जमाल, इम्तियाज़ अहमद सिद्दीक़ी, कमाल अख़तर
(ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया के पदाधिकारी) www.zakatindia.org

लम्बे समय से रुके हुए काम

1. योजनाएँ बनाने व लागू करने के लिए यूनिट

बुनियादी ढ़ांचे की योजनाओं व उनके क्रियान्वन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 'गाँव' को तथा नगरीय क्षेत्रों में 'वार्ड' को इकाई बनाया जाए (ज़िला अथवा ब्लॉक को इकाई न बनाया जाए) ।

2. ऐडमिशन के लिए वैकल्पिक मानक

कॉलेज़ों तथा यूनिवर्सिटियों में प्रवेश के लिए रेटिंग/ग्रेडिंग व्यवस्था के रूप में "Alternate Admission Criteria" की सिफ़ारिश दिल्ली में लागू की जाए जिससे सभी समुदायों के अति पिछड़े परिवेश के छात्रों को कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटियों में प्रवेश के बेहतर अवसर मिल सकें। (सच्चर कमेटी रिपोर्ट, पेज 246, स्टेटमेण्ट 12.1)
शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुदान को भी इसी मानक के क्रियान्वयन से जोड़ा जाए।

3. समान अवसर आयोग

दिल्ली में समान अवसर आयोग (Equal Opportunity Commission) गठित किया जाए जैसा कि सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की है। (इसकी कार्य योजना केन्द्र सरकार की विशेषज्ञ समिति पांच साल पहले प्रस्तावित कर चुकी है।)

4. विविधता पर आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ

दिल्ली में विविधता पर आधारित प्रोत्साहन/प्रलोभन योजनाएँ (Incentive Schemes based on Diversity Index) लागू की जाएँ । (इसकी कार्ययोजना भी केन्द्र सरकार की विशेषज्ञ समिति पाँच साल पहले प्रस्तावित कर चुकी है।)

5. **ब्याज मुक्त वित्तीय विकल्प**

बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज मुक्त वित्तीय विकल्प (Interest Free Finance Option) उपलब्ध कराने के सम्बंध में तत्कालीन वित्त आयोग की रघुराम राजन कमेटी की सिफ़ारिश को देश में लागू करने के लिए दिल्ली की नई सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार को लिखा जाए । शूरुआत के तौर पर दिल्ली में "सुकूक-बांड" की सहूलत दे दी जाए।

6. **बजट आवंटन**

प्रतिभाओं के विकास (Skill Development) कार्यक्रमों और अन्य वित्तीय सुविधाओं को मुसलमानों में सफ़ल बनाने के लिए बजट में विशेष काम्पोनेंट (Special Component) आवंटित किया जाए जैसा कि श्री हर्षमन्दर व अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट 'Promises to Keep' में सिफ़ारिश की गई है।

7. **डीलिमिटेशन**

उन मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्रों को आरक्षण से मुक्त किया जाए जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस सम्बंध में शोध तथा तथ्य एकत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल गठित किया जाए। दिल्ली की नई सरकार डिलिमिटेशन / एलेक्शन कमीशन को इन गड़बड़ियों को दुरूस्त करने के लिए पत्र भेजे। उदाहरण के लिए, दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी 34.16 प्रतिशत है और मुसलमानों की आबादी 6.31 प्रतिशत है किन्तु यह क्षेत्र आरक्षित नहीं है जबिक सीमापुरी चुनाव क्षेत्र को जहां अनुसूचित जातियों की आबादी 28.97 प्रतिशत है और मुसलमानों की आबादी 17.38 प्रतिशत है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। मुसलमानों के साथ यह भीषण अन्याय ख़त्म किया जाए।

8. **वक़्फ़**

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि (क) कोई भी वक़्फ़ सम्पत्ति किराएदारी के मौजूदा मार्केट रेट से कम रेट पर लीज़ पर नहीं दी जाए गी और (ख) किसी भी वक़्फ़ सम्पत्ति को लीज़ पर देने का प्रस्ताव वक़्फ़ बोर्ड द्वारा आदेश जारी करने से पहले राज्य सरकार के पास भेजने की कोई बाध्यता न हो।

(ii) केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और उनकी एजेण्सियों के क़ब्ज़े वाली वक़्फ़ सम्पत्तियों को ख़ाली करने और उन्हें दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के हवाले किए जाने का आदेश जारी किया

जाए । तथा क़ब्ज़े की इस पूरी अवधि का किराया वक़्फ़ बोर्ड को मार्केट रेट से दिलाया जाए ।

(iii) दिल्ली की बहुप्रचलित सभी 123 वक़्फ़ सम्पत्तियां तुरन्त दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को हस्तान्तरित की जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका उपयोग वक़्फ़ के उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त रूप से तुरंत शुरू हो जाए ।

(iv) दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के लिए सी.ई.ओ. के रूप मे ऑल इण्डिया अथवा सेण्ट्रल सर्विस के किसी वरिष्ठ (वरना दिल्ली सरकार का वरिष्टतम) अधिकारी को नियुक्त किया जाए जैसा कि कई राज्यों में मन्दिरों व न्यासों के प्रबंधन के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। उस अधिकारी को कोई अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए वरना वक़्फ़ के काम में बाधा आती है ।

9. **मदरसे**

(i) सेण्ट्रल मदरसा स्कीम (SPQEM) का प्रचार उर्दू व हिन्दी भाषा में किया जाए।

(ii) मदरसों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के बीच (U.G.C तथा N.I.O.S के सहयोग से) सामंजस्य (equivalence) स्थापित किया जाए।

10. **उर्दू अध्यापक**

सेण्ट्रल उर्दू टीचर स्कीम को दिल्ली में लागू किया जाए।

11. **मुसलमानों का नामांकन और उनकी सहभागिता**

(i) आन्ध्र प्रदेश के ढंग पर सार्वजनिक पदों व प्राधिकारों पर मुसलमानों को अवसर देने के लिए उन्हें नामांकित करने की विधि अपनाई जाए । और यह अवसर उन्हें केवल मुसलमानों से सम्बंध रखने वाले पदों पर ही नहीं बल्कि समस्त सामान्य पदों के लिए दिया जाए ।

(ii) योजनाएं बनाने तथा उनकी मानिटरिंग में, उन से लाभान्वित होने वाले मुस्लिम वर्गों को सम्मिलित किया जाए।

(iii) कुछ मुसलमानों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के बजाए समस्त मुस्लिम समुदाय को लाभान्वित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।